

भारत सरकार/उ०प्र० सरकार द्वारा क्षतिपूरक वृक्षारोपण की धनराशि की देयता के संबंध में लगायी जाने वाली शर्तों के अनुपालन संबंधी

वचनबद्धता प्रमाण पत्र

प्रमाणित किया जाता है कि रेणुकूट वन प्रभाग के अनपरा/पिपरी रेंज के अन्तर्गत मैसर्स हिण्डालको इण्डस्ट्रीज लिमिटेड (रेणुसागर पावर डिविजन) को भारत सरकार के आदेश संख्या 8-10/94-एफ.सी. दिनांक 14.10.96 एवं उ०प्र० राज्य सरकार के आदेश संख्या 6619/14-2-97-145(233)/94 दिनांक 22 मई, 1998 द्वारा रेणुसागर पावर प्लांट से हिण्डालको प्लांट, रेणुकूट तक वर्ष 1966 से 38.2591 हेक्टेयर वन भूमि पर निर्मित 132 के.वी. विद्युत पारेषण लाईन के पट्टे का 25 वर्षों के लिये (दिनांक 09.02.1991 से 08.02.2016 तक) उपरोक्त शासनादेशों में उल्लिखित शर्तों के अधीन नवीनीकरण किया गया था। लीज पर दी गयी उपरोक्त 38.2591 हेक्टेयर वनभूमि को पुनः 25 वर्षों हेतु (दिनांक 09.02.1916 से 08.02.2041 तक) लीज पर लिये जाने की आवश्यकता है। लीज नवीनीकरण के संबंध में भारत सरकार/उ०प्र० सरकार द्वारा क्षतिपूरक वृक्षारोपण की देयता संबंधी जो भी शर्तें लगायी जायेगी उसका नियमानुसार अनुपालन करने हेतु हिण्डालको संस्थान बचनबद्धता प्रस्तुत करता है।

  
क्षेत्रिय वनाधिकारी  
पिपरी रेंज  
रेणुकूट वन प्रभाग, रेणुकूट, सोनभद्र

For - Hindalco Industries Limited



Authorized Attorney

  
व्यवसायी वनाधिकारी  
रेणुकूट वन प्रभाग  
रेणुकूट - सोनभद्र

  
सहायक वन सारक्षक/प्रभारी  
अनपरा रेंज-  
रेणुकूट वन प्रभाग-सोनभद्र

Hindalco Industries Limited